

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक:-एफ 2(3)संस्था/रालोसेआ/02-03/5510


दिनांक : 03/11/22

कार्यालय आदेश

शासन के कार्मिक (क-3) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.07.01 के अनुसरण में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.06.13, 23.07.15 एवं 04.08.16 के अन्तर्गत आयोग कार्यालय में कार्यरत कामकाजी महिलाओ से प्राप्त यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत/ परिवेदना प्रार्थना पत्रों पर त्वरित गति से नियमानुसार निस्तारण कार्यवाही करने हेतु पूर्व में गठित कमेटी को निम्नानुसार पुर्नगठित किया जाता है :-

1. श्रीमती चित्रा जैनानी, परीक्षा नियंत्रक	अध्यक्ष
2. श्री जितेन्द्र कुमार उदय, सहायक सचिव	सदस्य सचिव
3. बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, अजमेर	सदस्य
4. श्री छोटूलाल मीणा, सहायक सचिव	सदस्य
5. श्री जगदीश रामचन्दानी, सहायक सचिव	सदस्य
6. श्रीमती सुनीता रावत, सहायक सचिव	सदस्य
7. श्रीमती सुनिता मून्दड़ा, सहायक सचिव	सदस्य
8. श्रीमती लक्ष्मी जैनानी, सहायक अनुभाग अधिकारी	सदस्य
9. श्रीमती अभिलाषा बंसल, लिपिक ग्रेड-।	सदस्य
10. श्रीमती संगीता टेलर, लिपिक ग्रेड-।।	सदस्य

1. शिकायत समिति द्वारा एक स्थायी रजिस्टर खोला जावेगा, जिसमें प्राप्त शिकायतों को पंजीबद्ध किया जावेगा।
2. प्राप्त शिकायत पर समयबद्ध अवधि में निस्तारण कार्यवाही समिति द्वारा की जावेगी।


(आशुतोष गुप्ता)
संयुक्त सचिव